

झारखण्ड का परिचय

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में 15 नवम्बर 2000 को बिहार के दक्षिणी भागों को काटकर 18 जिलों के साथ भारतीय संघ के 28 वें राज्य के रूप में झारखण्ड राज्य बनाया गया। राज्य को इसके विशाल वन संसाधनों एवं देश के खनिज संसाधन के 40 प्रतिशत संसाधनों के साथ खनिज पदार्थों के अग्रणी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि **परिशिष्ट-1.1 पार्ट ए** में दिखाया गया है, पिछले दशक में राज्य में जनसंख्या का घनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से बढ़कर 414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया। अतः झारखण्ड राज्य का जनसंख्या घनत्व सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था। सामान्य श्रेणी के राज्यों (27.5 प्रतिशत) की तुलना में राज्य में गरीबी रेखा के नीचे अधिक जनसंख्या (40.3 प्रतिशत) थी। राज्य में शिशु मृत्यु-दर 44 (प्रति 1000 जीवित जनन) था जो कि सामान्य श्रेणी के राज्यों के 50 से कम था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय वितरण असमानता सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था। पिछले दशक में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के सामान्य श्रेणी के राज्यों (14.68 प्रतिशत) की तुलना में धीमी गति से बढ़ोत्तरी हुई (13.34 प्रतिशत)। इस अवधि के दौरान, अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि 17.56 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य की जनसंख्या वृद्धि 22.34 प्रतिशत रही। चालू दशक में झारखण्ड में प्रति व्यक्ति आय सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम रही।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वित्त लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2011 को राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में पिछले पाँच वर्षों में समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखे के संरचना एवं रूपरेखा को **परिशिष्ट 1.1 पार्ट-बी** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को **परिशिष्ट 1.1 पार्ट-सी** दर्शाया गया है। राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति **परिशिष्ट 1.2 पार्ट-ए** में दिया गया है। राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

1.1.1 चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करती है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए** चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1 चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियाँ	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
खण्ड क : राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
15118.47	राजस्व प्राप्तियाँ	18781.12	15128.24	राजस्व व्यय	11940.93	6003.81	17944.74
4500.12	कर राजस्व	5716.63	6605.36	सामान्य सेवायें	6862.24	128.56	6990.80
2254.15	कर भिन्न राजस्व	2802.89	5610.30	सामाजिक सेवायें	3304.56	3402.74	6707.30
5547.57	संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	6154.35	2912.38	आर्थिक सेवायें	1773.96	2472.51	4246.47
2816.63	भारत सरकार से अनुदान	4107.25	0.20	सहायता अनुदान एव अंशदान	0.17	--	0.17
खण्ड - ख	पूँजीगत						
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		2703.04	पूँजीगत परिव्यय	43.33	2620.97	2664.30
21.79	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	24.12	319.98	ऋण एवं अग्रिम का संवितरित	136.84	170.72	307.56
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.39					
3369.44	लोक ऋण प्राप्तियाँ *	2446.51	1190.21	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	1299.43
-	आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण			आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	--
8241.68	लोक लेखा प्राप्तियाँ	7721.42	7290.30	लोक लेखा संवितरण	-	-	7399.85
637.52	आरंभिक रोकड़ शेष	640.91#	757.13	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-	-	--
				रोकड़ अंतशेष	-	-	(-)0.41
27388.90	कुल	29615.47	27388.90	कुल			29615.47

(स्रोत: वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के वित्त लेखे)

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर।

आपदा राहत कोष से निवेशित ₹116.22 करोड़ को राज्य विपत्ति कोष से स्थानांतरित किया गया। इसलिए आरंभिक रोकड़ शेष कम होकर ₹ 640.91 करोड़ हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन नीचे दिये गये हैं-

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों पिछले वर्ष से ₹ 3663 करोड़ (24 प्रतिशत) बढ़ गयी। वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व में ₹ 1217 करोड़ (27 प्रतिशत), गैर कर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 549 करोड़ (24 प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में ₹ 607 करोड़ (11 प्रतिशत) और सहायता-अनुदानों में ₹1290 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि के फलस्वरूप थी।
- तेरहवें वित्त आयोग की आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध राज्य का कर राजस्व ₹ 1306 करोड़ (19 प्रतिशत) कम था, जबकि, गैर-कर राजस्व ₹ 569 करोड़ (17 प्रतिशत) अधिक था।

- मुख्यतः सामान्य सेवाओं (₹ 386 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹1097 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 1334 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 2817 करोड़ (19 प्रतिशत) से बढ़ गया।
- पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 39 करोड़ की गिरावट हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों में दो करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं पुनर्भुगतान में ₹12 करोड़ रूपये (4 प्रतिशत) की कमी हुई।
- पिछले वर्ष की अपेक्षा लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 922 करोड़ (27 प्रतिशत) की कमी तथा पुनर्भुगतान में ₹109 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 521 करोड़ (छः प्रतिशत) की कमी हुई जबकि संवितरण में ₹110 करोड़ की वृद्धि हुई।
- इन लेन-देनों का निवल प्रभाव पिछले वर्ष 2010-11 की अपेक्षा वर्ष के अन्त में राज्य के रोकड़ शेष में ₹ 757.54 करोड़ की कमी हुई।



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग (वि.आ.) की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन(एफ.आर.बी.एम.)अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य सरकार को मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटा समाप्त करना था और राजकोषीय घाटा को मार्च 2009 तक अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)का अधिकतम तीन प्रतिशत तक कम करना था। हालांकि, तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने राजकोषीय समेकन हेतु एक नये और संशोधित शुद्धी पथ, जिसमें सभी अनुदान एवं ऋण राहत सुविधाएं शामिल हो, की सिफारिश की है। अतः राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने एफ.आर.बी.एम. लक्ष्य को इस प्रकार संशोधित करे कि राजस्व घाटा पूर्णतः खत्म करते हुए राजकोषीय घाटा को 2014-15 तक तीन प्रतिशत किया जा सके। घाटे को एक बड़ी राजस्व बचत (₹ 946 करोड़)में परिवर्तित कर वर्ष 2006-07 में राज्य ने एफ.आर.बी.एम. द्वारा राजस्व घाटा समाप्त करने का निर्धारित उद्देश्य प्राप्त कर लिया और राजस्व बचत 2007-08 में बढ़कर ₹ 1195 करोड़ हो गये। तथापि, राजस्व व्यय और प्राप्तियों में प्रवाह जो 2008-09 में शुरू हुई, जारी रही, परन्तु राजस्व आधिक्य की राजकोषीय स्थिति को 2009-10 में बरकरार नहीं रखा जा सका और ₹10 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। पुनः 2010-11 में राज्य में ₹ 836 करोड़ का राजस्व आधिक्य हुआ।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन के लिए प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं, राजस्व और पूँजीगत। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्ति जैसे विनिवेश से प्राप्तियों, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण और लोक लेखा से संभूति सम्मिलित है। **तालिका 1.1** वार्षिक वित्त लेखे में दर्ज चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.1** 2006-11 के दौरान राज्य को प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है। **चार्ट 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करता है।



- राज्य की कुल प्राप्तियाँ 2006-07 में ₹ 16185 करोड़ से 2010-11 में ₹ 28973 करोड़ बढ़ गई। कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर 2009-10 में 11 प्रतिशत से 2010-11 में आठ प्रतिशत, लोक ऋण प्राप्तियाँ (27 प्रतिशत) एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (छः प्रतिशत) की कमी के कारण घट गयी।
- राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2006-07 में 62 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 65 प्रतिशत हो गई। तथापि, 2007-10 में यह 56 प्रतिशत के करीब थी।
- ऋण पूँजीगत प्राप्तियों (पूँजीगत प्राप्तियों घटाव कर्ज एवं अग्रिम की वसूली) 2009-10 में ₹ 3369 करोड़ से 2010-11 में ₹ 2447 करोड़ तक घट गई। इसका वृद्धि दर 2009-10 में 27 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 38 प्रतिशत थी।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ 2006-07 में ₹ 4293 करोड़ (27 प्रतिशत) से 2010-11 में ₹ 7721 करोड़ (27 प्रतिशत) तक स्थिरता से बढ़ा।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

जटिल सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों¹ को केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी प्रमात्रा में निधि हस्तांतरित की गई है। चूँकि यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती है, वार्षिक वित्त लेखे इस निधि के प्रवाह को समाहित नहीं करता है और उस सीमा तक उनसे उत्पन्न राज्य की प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चल/प्राचल न्यून प्राक्कलित है। कुल संसाधनों की उपलब्धता को संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किये जाते हैं।

¹ राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वेसे संगठन/संस्थान, गैर-सरकारी संगठन सहित, जो भारत सरकार से निधि प्राप्त करते हैं। राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में सम्मिलित हैं, जैसे एस.एस.ए. के लिए राज्य कार्यान्वयन संख्याएन.आर.एन.एन. के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन।

तालिका 1.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/ योजना (केन्द्र: राज्य हिस्से को इंगित)	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	2009-10	2010-11
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना (नव निर्माण) इंदिरा आवास योजना (उन्नति), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन), जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1205.31	1667.96
सर्व शिक्षा अभियान	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्	709.40	895.62
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य, सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए मानव संसाधन	(I) झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संस्था, लेप्रोसी नियंत्रण संस्था, टी.बी. नियंत्रण संस्था एवं अंधापन नियंत्रण संस्था (II) झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण संस्था	175.88	297.52
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना	झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता योजना	150.76	184.62
सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास	जिला दंडाधिकारी	37.50	40.00
गैर सरकारी एवं अन्य संस्था द्वारा लागू योजना	गैर सरकारी संगठन एवं अन्य संस्थाएँ	383.79	1125.36
कुल		2662.64	4211.08

स्रोत: लेखा के महानियंत्रक, भारत सरकार, तथापि कार्यान्वयन अभिकरणों के आँकड़ों के साथ तिथि का मिलान नहीं किया गया था।



वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में झारखण्ड राज्य के क्षेत्र से बाहर से संगठनों को विमुक्त क्रमशः 100.96 करोड़ रुपये एवं 118.40 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं।

राज्य में विशेष केन्द्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को 2010-11 में ₹ 4211.08 करोड़ सीधे हस्तांतरित किये गये। जिसमें से एक बड़ी राशि ₹1667.96 करोड़ एवं ₹ 895.62 करोड़ क्रमशः जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषदों को हस्तांतरित किये गये थे।

संघ से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित निधि के कारण इन निधियों के अनुचित उपयोग का जोखिम रहता है। जब तक इन सभी अभिकरणों द्वारा कोई समरूप रेखांकन नीति का अनुसरण नहीं किया जाता इन सीधे हस्तांतरित निधि के खर्च का राज्य सरकार तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा अद्यतन सूचना को विधिमान्य नहीं बनाया जाता तब तक इसका पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण मुश्किल होगा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे की विवरणी 11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। 2006-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 में दिखाया गया है एवं क्रमशः चार्ट 1.3 और चार्ट 1.4 में चित्रित किया गया है।



- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2006-07 में ₹ 10010 करोड़ से 2010-11 में ₹ 18781 करोड़ अर्थात् 88 प्रतिशत से स्थिरता से बढ़ा। जबकि 2006-11 के दौरान राजस्व का औसतन 45 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधन से आया और केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान एक साथ कुल राजस्व का 55 प्रतिशत था।
- वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों (₹18781 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 5717 करोड़ (30 प्रतिशत), गैर-कर राजस्व ₹ 2803 करोड़ (15 प्रतिशत), केन्द्रीय कर हस्तांतरण ₹ 6154 करोड़ (33 प्रतिशत) और सहायता अनुदान ₹ 4107 करोड़ (22 प्रतिशत) पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 27 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 46 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ संघारित था।
- राज्य में 2010-11 में 7.5 प्रतिशत व्याज दर पर सामेकित ऋण पर ₹ 104.96 करोड़ का ऋण माफी प्राप्त किया जिसे 31 मार्च 2010 तक बकाया ऋण की प्रमात्रा से घटाया गया।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) ₹ करोड़ में	10010	12027	13213	15118	18781
आर.आर. की वृद्धि दर प्रतिशत)	18.3	20.1	9.9	14.4	24.2
आर.आर./जी.एस.डी.पी. प्रतिशत)	14.9	14.3	15.0	15.5	17.3
उत्प्लावकता अनुपात ²					
राजस्व उत्प्लावकता जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में	1.85	0.79	2.06	1.33	2.16
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.58	0.35	1.67	1.84	2.41

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में 2006-07 में 18.3 प्रतिशत से 2010-11 में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, 2008-09 में सबसे कम वृद्धि दर (9.9 प्रतिशत) था।
- राजस्व प्राप्तियाँ क्रमशः 14 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2009-10 में ₹ 15118 करोड़ से 2010-11 में ₹18781 करोड़ तक बढ़ गया।
- 2006-11 के दौरान स.रा.घ.उ.के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में 0.79 और 2.16 के बीच व्यापक विचलन देखा गया। 2010-11 में वर्ष के दौरान स.रा.घ.उ. में बहुत कम वृद्धि (11.2 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि (24.2 प्रतिशत) के कारण यह उच्चतम स्तर (2.16 प्रतिशत) पर था जबकि 2007-08 में यह स.रा.घ.उ. के उच्चतम वृद्धि दर (25.4 प्रतिशत) के कारण न्यूनतम स्तर (0.79 प्रतिशत) पर था।
- स.रा.घ.उ. एवं स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर में व्यापक विचलन के कारण राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता 2006-11 के दौरान 0.35 और 2.41 के बीच व्यापक विचलन दिखाया। तथापि, वर्ष के दौरान स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में तेज वृद्धि के कारण यह 2008-09 में 1.67 से 2007-08 में 0.35 तक तेजी से घटा।
- 2006-11 के दौरान राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 4.8 प्रतिशत से 25.4 प्रतिशत तक व्यापक विचलन दर्ज किया गया। इसकी वृद्धि दर 2006-07 में 9.9 प्रतिशत से 2007-08 में 25.4 प्रतिशत तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा जो 2008-09 में 4.8 प्रतिशत तक तेजी से घटा। तथापि वर्ष 2009-10 में 10.8 प्रतिशत तथा 2010-11 में 11.02 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा।


² आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे - राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेंगी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय कर प्राप्ति के संग्रहण और योजनागत कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता इत्यादि के द्वारा केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, के कर एवं गैर-कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व से संघटित राज्य के अपने संसाधन के रूप में इसके अतिरिक्त संसाधन के संघटन में राज्य का निष्पादन मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2006-07 में ₹ 3189 करोड़ से 2010-11 में ₹ 5717 करोड़ तक लगातार बढ़ा, लेकिन 2006-11 के दौरान इसकी वृद्धि दर आठ प्रतिशत और 27 प्रतिशत के बीच व्यापक विचलन दिखाया। 2010-11 में कुल कर राजस्व में से, बिक्री कर का योगदान 78 प्रतिशत था, उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क का सात प्रतिशत, मुद्रांक एवं निबंधन कर का छ प्रतिशत एवं वाहनों पर कर छ: प्रतिशत योगदान था। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कर राजस्व के मुख्य घटक को चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है।



2010-11 के दौरान एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य ₹ 5967 करोड़ और ते.वि.आ.के ₹ 7023 करोड़ के सामान्य अनुमान के विरुद्ध राज्य के स्वयं के कर का संग्रहण ₹ 5717 करोड़ था। एम.टी.एफ.पी. एवं ते.वि.आ. के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने का कारण वर्ष के दौरान अनुमान से कम उत्पाद कर का संग्रहण (वास्तविक संग्रहण ₹ 388 करोड़ और बजट अनुमान ₹ 525 करोड़), था।

स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात 2010-11 में एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 7.94 प्रतिशत एवं ते.वि.आ. के मानक 6.26 प्रतिशत के विरुद्ध मात्र 5.30 प्रतिशत था।

गैर कर राजस्व

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य ₹ 3130 करोड़ एवं ते.वि.आ. के मानक ₹ 3372 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2803 करोड़ था।

वर्ष 2006-11 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व का हिस्सा 12 से 15

प्रतिशत के बीच था। यद्यपि राजस्व प्राप्तियों में इसका हिस्सा (15 प्रतिशत) पिछले तीन वर्षों में यथावत रहा। गैर-कर राजस्व की वृद्धि दर 2009-10 के दौरान 15 प्रतिशत से तीव्रता से बढ़कर 2010-11 में 24 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण विविध सामान्य सेवायें, पर्यटन, अन्य सामाजिक सेवायें और उद्योगों के राजस्व में उच्च वृद्धि दर थी। यद्यपि अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग का गैर-कर राजस्व में मुख्य योगदानकर्ता था परन्तु इसका प्रतिशत 2009-10 में 77 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 73 प्रतिशत हो गया।

1.3.2 राजस्व बकाये

प्रत्येक वर्ष एक बड़ी राशि राजस्व के बकाये के रूप में रहता है। 2009-10 के अंत में ₹ 2029 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें ₹ 457.33 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। 2008-09 एवं 2009-10 में राजस्व बकाया का प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों का क्रमशः 36 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत था।


31 मार्च 2011 के अंत तक राजस्व बकाये की सूचना उपलब्ध नहीं थी (सितम्बर 2011)।

1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग



राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन पर मुख्य व्यय करने का उत्तरदायित्व है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय के बहाने में बजटीय बाध्यता थी। यह, तथापि, सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर पर सुदृढीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 2006-07 से 2010-11 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है। इसके संघटक दोनों शब्दों में, "आर्थिक वर्गीकरण" और "क्रियाकलापों द्वारा व्यय" को क्रमशः चार्ट 1.7 और 1.8 में चित्रित किया गया है।




- राज्य का कुल व्यय 2009-10 में ₹ 18151 करोड़ से 2010-11 में ₹ 20917 करोड़ तक बढ़ गया। 2010-11 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 2817 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि था, जो पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम में क्रमशः ₹ 39 करोड़ (एक प्रतिशत) और ₹ 12 करोड़ (चार प्रतिशत) की कमी द्वारा आंशिक प्रति संतुलित किया गया। पूँजीगत व्यय में कमी का मुख्य कारण था, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 44 करोड़), जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास विभाग (₹ 286 करोड़) की कमी था जो आंशिक रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च में वृद्धि (₹ 58 करोड़) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (₹ 129 करोड़) द्वारा प्रतिपूरित किया गया था।
- वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय की प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत 2009-10 में क्रमशः 63 और 37 प्रतिशत की अपेक्षा 2010-11 में ₹ 58 और 42 प्रतिशत थी। कुल व्यय में ₹ 2766 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण योजना व्यय में (₹2064 करोड़ वृद्धि था। वर्ष 2006-11 के दौरान कुल व्यय से गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) 56 और 63 प्रतिशत के बीच दोलित था। कुल व्यय से एन.पी.आर.ई. का प्रतिशत 2008-09 में 56 प्रतिशत से तीव्रता से बढ़कर 2009-10 में 63 प्रतिशत हो गया जो पुनः घट कर वर्ष 2010-11 में 57 प्रतिशत हो गया।



- कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रभावशाली हिस्सा था और यह 2009-10 में 83 प्रतिशत के विरुद्ध 2010-11 के दौरान कुल व्यय का 86 प्रतिशत था। इस वृद्धि का मुख्य कारण सामान्य सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर होने वाले खर्च में वृद्धि था।
- राजस्व व्यय 2006-07 में ₹ 9064 करोड़ से 2010-11 में ₹17945 करोड़ बढ़ गया।
- योजना राजस्व व्यय 2009-10 में कुल व्यय के 25 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 33 प्रतिशत हो गयी जबकि योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) के वृद्धि दर ने वर्ष 2006-11 के दौरान घटाव 1.4 प्रतिशत और 61 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्शाया। एन.पी.आर.ई. की वृद्धि दर 2009-10 में 25.4 प्रतिशत से तीव्रता से घटकर 2010-11 में पाँच प्रतिशत हो गया।
- स.रा.घ.उ. के साथ राजस्व व्यय की उत्पलावकता 2010-11 के दौरान हल्की वृद्धि करते हुए 1.62 से 1.66 हुआ जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 1.22 से घटकर 0.77 हुई। वर्ष के दौरान स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर 11 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व व्यय की वृद्धि दर 19 प्रतिशत था।
- 2006-11 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 13 से 19 प्रतिशत लेखापित किया गया। यद्यपि 2009-10 के दौरान पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत 15 से घटकर 2010-11 में यह 13 प्रतिशत हो गया।
- पूँजीगत व्यय स.रा.घ.उ. का 2.46 प्रतिशत था जो म.रा.यो. 2010-11 में निर्धारित लक्ष्य (5.80 प्रतिशत) की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था।
- 2006-11 के दौरान कुल व्यय का एक से चार प्रतिशत ऋण एवं अग्रिम में लेखापित किया गया। यह 2009-10 में ₹ 320 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 308 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः चालू वर्ष के दौरान जलापूर्ति और स्वच्छता की मद में ऋण की कमी (₹40 करोड़) के कारण था।
- 2006-11 के दौरान, सामान्य सेवाओं पर व्यय सामाजिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं पर व्यय से काफी अधिक थी (सिवाय 2008-09) जो गैर विकासात्मक/ कम उत्पादक सेवाओं पर अधिक व्यय को इंगित करता था।

1.4.2 प्रतिवद्ध व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार का प्रतिवद्ध व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन और अनुदान पर भुगतान से संधारित हो **तालिका 1.4** और **चार्ट 1.9** 2006-11 दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति दर्शाता है।



तालिका 1.4 प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(करोड़ रुपये में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बी.ई.	वास्तविकी
वेतन* एवं मजदूरी, जिसका	2744 (27)	2985 (25)	3948 (30)	5342 (35)	5774	5642 (30)
गैर योजना शीर्ष	2518 (25)	2802 (23)	3801 (29)	5154 (34)	5535	5434 (29)
योजना शीर्ष**	226 (2)	183 (2)	147 (1)	188 (1)	923	208 (1)
ब्याज भुगतान	1613 (16)	1758 (15)	1887 (14)	2307 (15)	2135	2228(12)
पेंशन पर व्यय	679 (7)	818 (7)	988 (7)	1681 (11)	1401	2081(11)
अनुदान	211 (2)	77 (1)	37 (0.3)	41 (0.3)	₹	80
कुल	5247(52)	5638(47)	6860 (52)	9371(62)		10031 (53)

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

* इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।

** योजना शीर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वेतन और मजदूरी का भुगतान सम्मिलित है।

‡ बजट अनुमान के सकल आँकड़े जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़े हैं।

₹ वजट उपलब्ध नहीं था।

वेतन और मजदूरी

- वेतन (₹ 5642 करोड़), ब्याज (₹ 2228 करोड़) और पेंशन (₹ 2081 करोड़) अकेले कुल व्यय का 48 प्रतिशत लेखापित किया गया जो 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 53 प्रतिशत था। 2010-11 के दौरान गैर योजना राजस्व शीर्ष में वेतन पर भुगतान गैर-योजना राजस्व व्यय का 47 प्रतिशत था।
- वर्ष 2010-11 में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान गैर योजना राजस्व व्यय एम.टी. एफ.पी. के निर्धारित 75 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 83.33 प्रतिशत था।
- वर्ष 2006-11 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 28 से 35 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 25 से 35 प्रतिशत था। तथापि 2010-11 में यह 2009-10 के दोनों मद में 35 प्रतिशत से घटकर क्रमशः 31 तथा 30 प्रतिशत हो

गया।

- वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना वेतन व्यय में 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड ₹ 4573 करोड़ के विरुद्ध इसमें ₹ 861 करोड़ की वृद्धि देखी गयी।
- वर्ष के दौरान गैर-योजना एवं योजना शीर्षों में वेतन पर व्यय बजट प्रावधान से क्रमशः ₹ 101 करोड़ एवं ₹ 31 करोड़ कम था।
- वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना शीर्षान्तर्गत वेतन पर व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 280 करोड़ (पाँच प्रतिशत) बढ़ा जबकि योजना शीर्ष में वेतन पर व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 20 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ा।

पेंशन

- पेंशन पर व्यय 2006-07 में ₹ 679 करोड़ से 2010-11 में ₹ 2081 करोड़ तक 206 प्रतिशत बढ़ा। यह 2010-11 के बजट अनुमान से ₹ 680 करोड़ (49 प्रतिशत) अधिक था।
- ते.वि.आ. के मानक ₹ 1173 करोड़ के विरुद्ध 2010-11 में पेंशन भुगतान ₹ 2081 करोड़ रहा। 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत के विरुद्ध 2010-11 में 24 प्रतिशत (₹ 400 करोड़) की वृद्धि हुई। हालांकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 10 प्रतिशत अनुमानित था। पेंशनरों की संख्या में वृद्धि के साथ भविष्य में पेंशन देयता बढ़ने की उम्मीद है। यद्यपि राज्य में अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया है जिससे भविष्य में पेंशन तथा पेंशनरी लाभ से बोझ को कम किया जा सकेगा।

ब्याज

- 2010-11 के दौरान ब्याज भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानित ₹ 2399 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2228 करोड़ रहा। वर्ष 2009-10 में ब्याज भुगतान में 22 प्रतिशत वृद्धि दर के विरुद्ध 2010-11 में घटकर 3 प्रतिशत (₹ 79 करोड़) हो गया। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2009-10 में 15 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 12 प्रतिशत हो गया जो एम.टी.एफ.पी. के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से तीन प्रतिशत कम था।

सहायिकी

- राज्य में 2008-09 और 2009-10 में सबसीडी पर व्यय कम था जो क्रमशः ₹ 37 करोड़ एवं ₹ 41 करोड़ था। वर्ष 2010-11 में वह दो गुना तक (₹ 80 करोड़) बढ़ गया।

1.4.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले दो वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.5** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता
(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11
पंचायती राज संस्थाएँ	-	-	875.69
शहरी स्थानीय निकाय	735.64	485.14	246.15
सार्वजनिक उपक्रम	200.70	602.64	491.55
स्वायत्त निकाय	923.83	678.31	607.55
गैर सरकारी संस्थाएं	7.60	17.87	192.43
अन्य	498.08	548.98	708.34
कुल	2365.85	2332.94	3121.71

* वित्त लेखे की विवरणी 8 के आधार पर तैयार की गई।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2009-10 में ₹ 2365.85 करोड़ से 2010-11 में ₹ 3121.71 करोड़ तक स्थिरता से बढ़ा। 2010-11 में वित्तीय सहायता में वृद्धि का मुख्य कारण पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 875.69 करोड़ एवं अन्य संस्थाओं को ₹ 159.36 करोड़ की वित्तीय सहायता में वृद्धि थी जिसका कुछ भाग शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 238.99 करोड़ तथा सार्वजनिक उपक्रमों को 111.09 करोड़ की कम सहायता द्वारा प्रतितुलन हुआ। 2010-11 में इन संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता कुल राजस्व व्यय का पिछले वर्ष के 15 प्रतिशत के विरुद्ध 17 प्रतिशत रही।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं का विद्यमान होना व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय के उत्कर्ष में सुधार में मुख्यतः तीन पहलू सम्मिलित हैं, पर्याप्तता (अर्थात् सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम संबंधी का मूल्यांकन)।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। नीची राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय श्रेणी का कुल व्यय से अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न होगी यदि यह अपने क्रम के सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से कम है। **तालिका 1.6** चालू वर्ष में विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक श्रेणी पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.6 2007-08 और 2010-11 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	एई/जी एस डी पी	डी ई/ ए इ	एस.एस. इ./ए. ई	सी ई/ए ई	शिक्षा/ए ई	स्वास्थ्य/ ए.ई
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2007-08	16.85	64.28	32.54	16.14	14.64	3.98
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2007-08	16.69	66.26	36.82	18.44	18.00	3.75
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2010-11	16.65	64.42	36.75	13.27	17.42	4.35
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2010-11	19.30	48.61	35.40	12.74	18.43	3.91

* स.रा.घ.उ. के अनुपात में

ए ई: समुच्चित व्यय डी ई:विकास पर व्यय एस एस ई:सामाजिक क्षेत्र पर व्यय सी ई: पूंजीगत व्यय

#विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूंजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित अग्रिम सम्मिलित है।

स्रोत: स.रा.घ.उ. के लिए सूचनाएँ राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त की गई थी।

तालिका 1.6 विभिन्न श्रेणियों के व्यय का आधार वर्ष के रूप में 2007-08 की तुलना में चालू वर्ष 2010-11 में राज्य द्वारा दी जाने वाली राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

झारखण्ड राज्य ने 2007-08 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में अपने स.रा.घ.उ. का एक छोटा भाग ही सकल व्यय के रूप में उपयोग किया। लेकिन 2010-11 में राज्य ने सामान्य श्रेणी के राज्य के तुलना में स.रा.घ.उ. का उच्च प्रतिशत सकल व्यय के रूप में उपयोग किया।

झारखण्ड में सकल व्यय के अनुपात में विकास पर व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2007-08 में थोड़ा अधिक था, लेकिन चालू वर्ष में यह घट कर 48.61 प्रतिशत हो गया जैसा कि झारखण्ड द्वारा इस मद में सामान्य श्रेणी के राज्य के तुलना में कम खर्च किया गया।

राज्य की पूंजीगत व्यय से सकल व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2007-08 कुछ अधिक था, लेकिन चालू वर्ष में यह थोड़ा कम हो गया, जैसा कि राज्य द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना इस मद में कम खर्च किया गया। भौतिक पूंजीगत निर्माण में कमी की प्राथमिकता के कारण राज्य के संभावित विकास में कमी होगी।

राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्राथमिकता दी है परन्तु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2007-08 तथा चालू वर्ष में कम प्राथमिकता दी गयी।

1.5.2 व्यय के इस्तेमाल की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय के लिए बुद्धिसंगत माप

दंड को अपनाये और कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स³ के प्रावधान पर जोर दें। विकास व्यय⁴ हेतु आवंटन, विशेषकर विगत वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण सृजित राजकोषीय अंतर के अलावा कुल व्यय का पूँजीगत व्यय से अनुपात (और/या स.रा.घ.उ.) और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे राजस्व व्यय का समनुपात के द्वारा व्यय की उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिम्बित हुई हो। इन अवयवों का कुल व्यय (और/या स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना उँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी बेहतर होगी। तालिका 1.7 पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य के समुच्चयित व्यय के तुलना में विकास योजनाओं की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है, तालिका 1.8 चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर पूँजीगत व्यय और राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.7 विकास का व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास पर व्यय (अ से स)						
अ. विकास पर राजस्व व्यय	5252 (48)	6224 (44)	7918 (48)	8523(47)	10673	10954(52)
ब. विकास पर पूँजीगत व्यय	1389 (13)	2476 (18)	2875 (18)	2591(14)	3583	2544(12)
स. विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	397 (4)	586 (4)	411 (3)	308(2)	403	296(1)
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्यय + पू.व्यय + ऋण) से प्रतिशत दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़ा है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

³ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे:- कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स वे सामग्री हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लोगों को मुफ्त या कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि व्यक्ति या समाज के पास ये सामग्री आवश्यकता, योग्यता और सरकार को भुगतान करने की इच्छा के आधार पर होनी चाहिए और उनके उपयोग को बढ़ाने की इच्छुक हों, इन सामग्रियों के उदाहरण हैं, पौषण हेतु गरीबों को कम दर पर खाद्यान्न का प्रावधान, जीवन स्तर सुधारने और मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, सभी को आधारभूत शिक्षा का प्रावधान, पेयजल और स्वच्छता इत्यादि।

⁴ व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्चयित है। राजस्व लेखे की अपेक्षा सभी व्यय, आवंटन और ऋण एवं अग्रिम को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किये गये हैं। व्यापक रूप में, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय सम्मिलित है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में है।

तालिका 1.8: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

सामाजिक/ आर्थिक ढाँचा	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	2009-10		टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	2010-11	
		आर.ई. में, हिस्सा			आर.ई. में, हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम. *		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवायें (एस.एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.41	58.95	00	0.08	52.36	00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.40	65.83	0.05	17.50	60.24	0.05
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	66.48	28.23	17.49	39.60	25.34	4.88
कुल (एस.एस.)	12.82	45.47	0.95	8.46	51.00	0.45
आर्थिक सेवायें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यक्रमलाप	0.94	41.61	0.01	2.71	33.62	0.04
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	43.80	95.82	1.27	50.38	96.97	00
विद्युत और ऊर्जा	00	00	00	00	00	1.12
परिवहन	71.61	22.99	8.77	82.79	38.61	43.56
कुल (ई.एस.)	37.75	29.53	1.83	37.53	47.40	5.16
कुल (एस.एस. + ई.एस.)	23.32	40.03	1.25	19.84	50.23	1.75
टी.ई.: उरा क्षेत्र का कुल व्यय, सी.ई.-पूँजीगत व्यय, आर.ई. : राजस्व व्यय, एस. और डब्ल्यू : वेतन एवं मजदूरी; ओ. एवं एम. : संचालन और रख रखाव *						
* वित्त लेखों के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05-रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत वार्षिक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखों)

राज्य के विकास व्यय में सामाजिक क्षेत्रों पर ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ राजस्व एवं पूँजीगत व्यय सम्मिलित है। इस व्यय का मुख्य हिस्सा विकासात्मक राजस्व व्यय का था जो 2006-11 में कुल व्यय के 44 से 52 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2006-11 के दौरान इस व्यय में पूँजीगत व्यय का कम हिस्सा था जो कुल व्यय का मात्र 12 से 18 प्रतिशत के बीच था। उक्त अवधि ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का एक से चार प्रतिशत रहा। 2009-10 में विकास पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर आठ प्रतिशत से तीव्रता से बढ़कर 2010-11 में 29 प्रतिशत हो गया जबकि विकास पर पूँजीगत व्यय 2009-10 में ऋणात्मक 10 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में ऋणात्मक दो प्रतिशत रहा।

विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम में लगातार कमी हुई जो 2007-08 में ₹ 586 करोड़ से घटकर 2010-11 में घटकर ₹ 296 करोड़ हो गया। जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। 2010-11 में विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम अनुमानित राशि से काफी कम थी जबकि विकासात्मक राजस्व व्यय बजट अनुमान से अधिक था।

सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय

- सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय स्थिरता से 91 प्रतिशत बढ़ा जो 2006-07 में ₹ 3878 करोड़ से 2010-11 में ₹ 7404 करोड़ हो गया। हालांकि 2008-09 के 42 प्रतिशत को छोड़कर 2006-11 के दौरान कुल व्यय के 35 प्रतिशत के आसपास

घूमता रहा। 2010-11 के दौरान सामाजिक सेवा पर व्यय कुल विकासात्मक व्यय (₹ 13794 करोड़) का 54 प्रतिशत लेखापित किया गया।

- पिछले वर्ष से 2010-11 में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय में 14 प्रतिशत (₹ 914 करोड़) की वृद्धि हुई। 2010-11 में सामाजिक क्षेत्रों के व्यय में ₹ 914 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण सभी सामाजिक सेवाओं के राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण हुआ जो कम पूंजीगत व्यय के कारण आंशिक रूप से सामाशोधित हुआ।
- 2006-11 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों पर कुल व्यय में से 49 से 52 प्रतिशत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर, 10 से 12 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर और 10 से 15 प्रतिशत जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास पर था।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

- वर्ष 2006-11 में कुल व्यय के 27 से 31 प्रतिशत के परिसर में, आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2006-07 में ₹ 3160 करोड़ से 2010-11 में ₹ 6390 करोड़ तक 102 प्रतिशत बढ़ा। यह 2010-11 में विकास पर व्यय का 46 प्रतिशत था।
- 2009-10 तथा 2010-11 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में से, कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों पर व्यय की प्रतिशतता 13 रही। ऊर्जा पर व्यय 2009-10 में 14 प्रतिशत से 2010-11 में 13 प्रतिशत हो गयी जबकि, परिवहन पर व्यय 2009-10 में 24 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से घटकर 2010-11 में 18 प्रतिशत हो गयी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को छोड़कर, पिछले वर्ष की अपेक्षा 2010-11 में सामाजिक सेवाओं पर क्षेत्रवार कुल व्यय से क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय का प्रतिशत घट गया, जबकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 2010-11 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ग्रामीण विकास को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई।

- वर्ष 2010-11 के दौरान, राज्य सरकार विस्तृत शीर्ष-05 - लोक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव पर मात्र ₹ 173.91 करोड़ खर्च किए। 2010-11 में परिचालन एवं रख-रखाव व्यय राजस्व व्यय 2009-10 में 0.95 प्रतिशत से घटकर 0.45 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण जलापूर्ति, स्वच्छता, गृह निर्माण एवं शहरी विकास पर कम खर्च था। आर्थिक सेवाओं पर परिचालन एवं रख-रखाव व्यय 2009-10 में 1.83 प्रतिशत से 2010-11 में 5.16 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा एवं परिवहन पर राजस्व व्यय में वृद्धि थी।

1.6 सरकारी व्यय और निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. के परावर्ती ढाँचे में, राज्य न सिर्फ अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) को नीचे स्तर पर रखने के लिए आशान्वित है बल्कि अपने पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं

अग्रिम सम्मिलित) की जरूरत को पूरा करने के प्रति आशान्वित है। इसके अलावे, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की संक्रांति में, राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और अस्पष्ट परिदान के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी आवश्यकता है।

यह खण्ड निवेश के व्यापक वित्तीय विश्लेषण और पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये अन्य पूँजीगत व्यय को प्रस्तुत करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनायें

31 मार्च 2011 को अपूर्ण योजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा
(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की सं.	आरंभिक बजट लागत	पुनरीक्षित कुल लागत	लागत वृद्धि	31.3.2011 का समुच्चयित कुल व्यय
पथ निर्माण विभाग	63	1361.45	193.19	—	619.57
पेयजल एवं स्वच्छता	09	18.46			6.10
जल संसाधन	89	1361.61	1822.44	—	861.26
भवन निर्माण	06	33.33	1.74	—	15.94
कुल	167	2774.85	2017.37	—	1502.87

♦ राज्य सरकार द्वारा गत पुनरीक्षण के अनुसार परियोजना की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

* स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे

- कुल 167 अपूर्ण परियोजनायें पथ निर्माण विभाग (63) पेयजल स्वच्छता विभाग (09), जल संसाधन विभाग (89) और भवन निर्माण विभाग (06) से संबंधित है।
- तालिका 1.9 दिये गये अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने की लक्षित तिथि मार्च 2006 से मार्च 2011 के बीच थी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की पुनरीक्षित तिथियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।
- 31.3.2011 तक कुल 167 परियोजनाओं में ₹ 2774.85 करोड़ के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध ₹1502.87 करोड़ निवेशित थे।

1.6.2 निवेश और वापसी

नये राज्य बनने के बाद से 31 मार्च 2011 तक सरकार द्वारा आठ सरकारी कम्पनियों (₹ 22.80 करोड़) और 16 सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 112.38 करोड़) में ₹ 135.18 करोड़ निवेश किये गये थे। (तालिका 1.10) 2010-11 को छोड़कर जब

₹ 40 लाख (0.3 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त किया गया, पिछले पाँच वर्षों में इन निवेशों पर औसत लाभ शून्य प्रतिवेदित किय गया जबकि सरकार के द्वारा 2006-11 के दौरान अपने उधार पर 7.92 प्रतिशत औसत ब्याज का भुगतान किया गया।

तालिका 1.10: निवेश पर वापसी

(₹ करोड़ में)

निवेश/लाभ/उधार की लागत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	28.70	98.96	112.47	128.73	135.18
वापसी (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.40
वापसी (प्रतिशत में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.3
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर	8.20	7.97	7.42	8.03	7.98
ब्याज दर और वापसी में अन्तर (प्रतिशत)	8.20	7.97	7.42	8.03	7.68

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 6.45 करोड़ (5 प्रतिशत) का निवेश मुख्यतः राष्ट्रीय सरकारी कम्पनी (₹ 2.25 करोड़) और समेकित बाल विकास योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तपोषित (₹ 2.70 करोड़) में की गई थी। हालांकि, वित्तीय वित्त आयोग के द्वारा 2007-08 के अंत में पाँच प्रतिशत के मानक के विरुद्ध मार्च 2010-11 के अंत में निवेश पर वापसी कुल निवेश का मात्र 0.3 प्रतिशत था। मुख्य कंपनियों के अद्यतन लेखे के अभाव में उनकी वित्तीय स्थितियों विशेषकर उनके संचालित हानियों पर टिप्पणी/अवलोकन करना कठिन है। इन संस्थाओं के साथ-साथ वैधानिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में संयुक्त बिहार सरकार द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक किये गये निवेश का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ सरकार ऐसे कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। तालिका 1.11 31 मार्च 2011 तक बकाये ऋण एवं अग्रिम और पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के साथ-साथ ब्याज प्राप्ति को प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.11: राज्य सरकार द्वारा अग्रिम की गई ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

अग्रिम / ब्याज प्राप्ति/ उधार की लागतों की प्रमात्रा	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आरंभिक शेष	5067	5462	6016	6415	6713
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि	411	598	418	320	308
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतित राशि	16	44	19	22	24
बकाया ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान का प्रतिशत	0.3	0.8	0.3	0.3	0.4
अंतशेष	5462	6016	6415	6713	7045
निवल योग	395	553	399	298	284
ब्याज प्राप्ति	38	87	110	153	99
बकाये ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत में ब्याज प्राप्ति	0.72	1.52	1.77	2.33	1.44
राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व के प्रतिशत में ब्याज भुगतान	8.77	8.57	8.26	9.00	7.98
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	(-)8.05	(-)7.05	(-) 6.5	(-)6.67	(-)6.54

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

- राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम की गई ऋणों की प्रमात्रा 2009-10 में ₹ 320 करोड़ से घट कर 2010-11 में ₹308 करोड़ हो गई। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं को 2010-11 में दी गई ऋण एवं अग्रिम में कमी के कारण थी।
- वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ब्याज प्राप्ति ब्याज आय के रूप में योगदान दिया जो भारतीय रिजर्व बैंक में रखे शेष (₹ 91.48 करोड़) पर सरकार को प्राप्त हुई। सरकार द्वारा इन संस्थाओं/संगठनों को अग्रिम किये गये ऋणों पर ब्याज प्राप्ति शून्य हो गई यद्यपि सरकार द्वारा चालू वर्ष में 8.23 प्रतिशत की दर पर निधि उधार लिये गये थे। वर्ष 2010-11 में ₹ 40 लाख लाभांश की प्राप्ति भी शामिल है। ब्याज प्राप्ति वर्ष 2010-11 के अंत तक बकाया ऋण का केवल 1.44 प्रतिशत पर स्थिर था।
- बकाये ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान काफी खराब था जो 2006-11 के दौरान कुल बकाये ऋणों एवं अग्रिमों के 0.3 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत के बीच था। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ऋण सेवा बचनबद्धता के पुनर्भुगतान में सबसे बड़ा बकायादार था। मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹ 6996 करोड़ के कुल बकाये ऋण में से ₹ 6419 करोड़ (92 प्रतिशत) बिजली बोर्ड पर और ₹514 करोड़ स्थानीय शहरी निकायों पर बकाये थे।
- 31 मार्च 2011 को सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 901.34 करोड़ की वापसी अनुरक्षित बकाया के रूप में थी जिसमें से क्रमशः ₹ 253.62 करोड़ और ₹ 647.72 करोड़ मूल धन एवं व्याज के रूप में थी। विभागीय

अधिकारियों द्वारा ऋण एवं अग्रिम का संबंधित लेखा संधारण की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

1.6.4 रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष और राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश तालिका 1.12 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.12: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2010 को	31 मार्च 2011 को	वृद्धि/ कमी
रोकड़ शेष			
रोकड़ शेष (अ से द) से निवेश	1359.39	1141.58	217.81 (कमी)
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	1354.98	1137.17	217.81 (कमी)
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	—	—	—
स. अन्य प्रतिभूति, यदि कोई विशेषीकृत हो	—	—	—
द. अन्य निवेश	4.41	4.41	—
चिन्हित शेषों (अ से स) से निवेश का निधिवार विघटन	—	—	—
प्राप्त ब्याज	145.55	85.70	59.85 (कमी)

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

वर्ष 2010-11 के दौरान, रोकड़ शेष ₹1141.58 करोड़ का वृहत्त भाग ₹ 1137.17 (99.6 प्रतिशत) पाँच प्रतिशत के ब्याज दर पर भारत सरकार के कोषागार विपत्रों में निवेशित था जो अपने उधार पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई औसत ब्याज दर 7.98 प्रतिशत से कम था। हालांकि 31 मार्च 2011 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 992.45 करोड़ शेष था। राज्य सरकार 2010-11 में भारतीय रिजर्व बैंक में आवश्यक निम्न रोकड़ शेष ₹45 लाख को बरकरार रखी।

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड द्वारा 31 मार्च 2011 का लेखा जोखा करने पर रोकड़ ₹ 891.39 करोड़ (क्रेडिट) शेष था। जबकि रिजर्व बैंक द्वारा सूचित रोकड़ शेष 31 मार्च 2011 को ₹ 992.45 करोड़ (डेबिट) था। अतः दोनों आंकड़ों में ₹101.06 करोड़ (डेबिट) का अंतर था जिसका समायोजन प्रक्रियाधीन था (जुलाई 2011)।

यद्यपि मार्च 2011 तक भारत सरकार के कोषागार विपत्रों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित ₹ 1141.58 करोड़ के रोकड़ शेष थे, उनके द्वारा वर्ष के दौरान 8.28 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़ उधार लिये गये।

1.7 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.7.1 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में सरकार द्वारा अधिकृत परिसम्पत्तियाँ अर्थात् भूमि और भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता है तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहित करते हैं।


परिशिष्ट 1.4- पार्ट बी मार्च 2011 को उसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2010 की तदनुसूच स्थिति के साथ तुलना करके प्रस्तुत करता है। जबकि इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः भारत सरकार से लिये गये आंतरिक उधार, ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे एवं जमा निधि से प्राप्तियाँ होती है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष होते हैं।


झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2007 कुल दायित्वों को संचित निधि और लोक लेखे के अंतर्गत दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम खुले बाजार उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, सरकारी कर्मचारी के लोक निधि शेष, जमा निधि, जमायें इत्यादि सम्मिलित हैं।

प्रतिकूल शेष जमा (i) सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों द्वारा किये गये जमा कार्य (₹ 21 लाख), (ii) राज्य परिवहन निगम निधि (₹ तीन लाख), (iii) झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद निधी (रूपये सात लाख), (iv) वन अग्रिम (₹13.04 करोड़) और (v) अन्य विभागीय अग्रिम (₹1.15 करोड़), बिहार एवं झारखण्ड के बीच परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा नहीं होने का प्रतिफल था।

राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत की गई है। तथापि, पिछले वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व का संघटन **चार्ट 1.10 और 1.11** में प्रस्तुत किये गये है।





- राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय दायित्व 48 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2006-07 में ₹19417 करोड़ से 2010-11 में ₹ 28655 करोड़ हो गया। राजकोषीय की वृद्धि दर 2009-10 में 13 प्रतिशत के विरुद्ध 2010-11 में 5 प्रतिशत थे।
- राज्य का राजकोषीय दायित्व ₹ 548.22 करोड़ रिजर्व फंड (₹ 544.75 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा ₹ 3.47 करोड़ सरकारी व्यावसायिक निकायों/विभागों के सामान्य रिजर्व फंड) के रूप में था। 2010-11 के दौरान ₹ 31 लाख रिजर्व फंड में प्राप्ति था जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में वर्ष के दौरान राज्य एवं केन्द्र द्वारा जमा ₹ 259.45 करोड़ में से ₹ 223.50 करोड़ का पुर्नभुगतान का निवल प्रभाव था। तेहरवें वित्त आयोग के सुझाव के आधार पर वर्ष 2010-11 में आपदा राहत निधि में निवेश को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि अंतरण किया गया।
- बढ़ते दायित्व राज्य सरकार के वित्त की अविच्छिन्नता का मुद्दा उठाता है। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपालन 2006-07 में 29 प्रतिशत से 2010-11 में 26 प्रतिशत तक स्थिरता से बढ़ा। तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा किया कि 2010-11 तक झारखण्ड को अपना राजकोषीय दायित्व स.रा.घ.उ. का 29 प्रतिशत तक घटाना चाहिए। राजस्व प्राप्ति तथा राज्य के स्वयं संसाधनों की तुलना में 2010-11 में ये दायित्व 2009-10 के क्रमशः 1.8 गुणा तथा 4.02 गुणा की तुलना में 1.53 गुणा तथा 3.36 गुणा रही।
- संयुक्त बिहार सरकार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं किया गया है (सितम्बर 2011) ।

1.7.2 प्रत्याभूति की स्थिति आकस्मिक दायित्व

विस्तारित प्रत्याभूति के लिए उधार लेने वाले के द्वारा बकाया के संबंध में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है।

भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि राज्य अपने विधान के अधिनियम के द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की प्रत्याभूति पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत आधार ले सके और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दें। तथापि, राज्य विधान मंडल द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया था। और राज्य की संचित निधि की जमानत पर प्रत्याभूति की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

वित्त लेखे की विवरणी 9 में कोई आँकड़ा नहीं दिया गया था क्योंकि 2010-11 के दौरान और इसके पूर्व भी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। कोई और विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

बैंकों से ऋण, एन.एस.एस.एफ. इत्यादि हेतु दायित्व के लिए लोक लेखे और राज्य की संचित निधि के बाहर संधारण हेतु बा.वि.आ. द्वारा हास होती निधि के स्थापना की अनुशंसा की गई थी। तथापि, उस तिथि तक कोई निधि स्थापित नहीं की गई थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में कोई गैर बजटीय उधार नहीं बनाये गये थे।

1.8 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता⁵ को निर्धारित करने वाली विभिन्न संकेतकों को विश्लेषित करना अनिवार्य है। ऋण स्थिरीकरण⁶, गैर-ऋण प्राप्तियों⁷ की पर्याप्तता, उधार निधि⁸ की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का बोझ (राजस्व प्राप्ति के साथ ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार के प्रत्याभूति का परिपक्वता रूपरेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका 1.13 2006-07 से प्रारंभ चार वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को विश्लेषित करते हैं।

⁵ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण - जी.डी.पी. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता घालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नकद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

⁶ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण - जी.डी.पी. अनुपात के वढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फेलाव (जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर - ब्याज दर) और प्रमात्रा फेलाव (ऋण * दर फेलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फेलाव शून्य है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवतः सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फेलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात संभवतः गिरेगा।

⁷ बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

⁸ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोजित ऋण प्राप्तियों के फेलाव को इंगित करता है।

तालिका 1.13: ऋण धारणीयता : संकेतक और झुकाव

ऋण धारणीयता के संकेतक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	899	3087	(-)1966	(-)270	980
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	4693	(-)1033	(-)1171	103	899
उधार निधि की निवल उपलब्धता	444	439	583	773	(-) 737
ब्याज भुगतान का बोझ (आई.पी./ आर.आर. अनुपात)	16	15	14	15	12
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)*					
0 - 1	*	5	775(4)	1183(5)	1868(8)
1 - 3	*	1850(10)	2508(13)	2885(13)	2977(13)
3 - 5	*	2689(15)	2829(14)	3263(15)	2872(12)
5 - 7	*	2771(15)	2635(13)	2569(12)	3284(14)
7 और आगे	*	11084(60)	11225(56)	12252(55)	12298(53)
कुल	*	18399	19972	22152	23299

* ऑकड़ा उपलब्ध नहीं।

कुल का प्रतिशत कोष्ठक में दिखाये गये हैं।

- जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार 2006-11 के दौरान स.रा.घ.उ. में वृद्धि दर में व्यापक बदलाव के कारण ऋणात्मक ₹ 1966 करोड़ एवं ₹ 3087 करोड़ के मध्य व्यापक बदलाव अंकित किया गया। यह 2007-08 के दौरान धनात्मक रूपये ₹ 3087 करोड़ से 2008-09 में ऋणात्मक रूपये ₹ 1966 करोड़ तक घटा। 2009-10 के दौरान इसमें कुछ सुधार हुआ (ऋणात्मक ₹ 70 करोड़) हुआ और पुनः 2010-11 के दौरान धनात्मक ₹ 980 करोड़ हो गया तथा राज्य को ऋण धारणीयता की स्थिति की ओर ले गया।
- 2010-11 के दौरान प्रमात्रा फैलाव (₹ 864 करोड़) प्राथमिक बचत धनात्मक ₹ 116 करोड़ के फलस्वरूप ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात में कुछ सुधार हुआ।
- जहाँ तक संसाधन अंतर्गत की संबंध है, 2006-07 में ₹ 4693 करोड़ के धनात्मक संसाधन अंतराल के विरुद्ध 2010-11 के दौरान संसाधन अंतराल धनात्मक ₹ 899 करोड़ घट गया। 2008-09 में ऋणात्मक ₹ 1171 करोड़ के विरुद्ध 2009-10 में इसमें सुधार हुआ तथा यह ₹ 103 करोड़ हो गया। पुनः 2010-11 के दौरान इसमें बढ़ोतरी हुई जो राज्य के राजकोषीय स्थिति के उतार-चढ़ाव का द्योतक है।


- राजस्व प्राप्तियों के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जैसा कि 2006-07 में 16 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में यह 12 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में भी इसमें सुधार देखा गया तथा यह 15 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 12 प्रतिशत हो गया।
- राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाता है कि प्रत्येक खण्ड अवधि के लिए ऋण देयता बढ़ रही है जो भविष्य में बढ़ने वाली ऋण देयताओं की ओर इंगित करता है। आगे उधार इस प्रकार से लेनी चाहिए कि उधार की वापसी एक वर्ष में इस तरह से जमा न हो जाय कि खास वर्ष में यह बजट पर अनावश्यक दबाव पैदा करे।
- राज्य को आनेवाले वर्षों में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं इसकी वित्तीय सुधार पथ में अंगीकृत नीतियों का कठोरता पूर्वक पालन करने की आवश्यकता है।


1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटे-किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करती है। सरकारी लेखे में घाटे प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को बताती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की मितव्ययिता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं उगाहे गये संसाधनों का उपयोग भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह धारा एफ.आर.बी.एम. एक्ट/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा घाटों के वित्तीय पोषण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के आकलन के लिए प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके को बताती है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.12 एवं 1.13: 2006-11 के अवधि में घाटे के संकेतक की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।





- 2006-11 के दौरान, सिवाय 2009-10 में ₹10 करोड़ का राजस्व घाटा, राज्य को राजस्व आधिक्य था। यद्यपि राजस्व आधिक्य की मात्रा 2007-08 में ₹ 1195 करोड़ से 2008-09 में ₹ 336 करोड़ तक कम हो गयी जो 2010-11 के दौरान सुधरते हुए ₹ 836 करोड़ हो गया। यद्यपि राज्य द्वारा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और बा.वि.आ. के आलोक में 2009 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया लेकिन एम.टी.एफ.पी. 2010-11 में अनुमानित ₹ 3551 करोड़ के राजस्व आधिक्य राज्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। राजस्व आधिक्य के साथ स.रा.घ.उ. का एम.टी.एफ.पी.में अनुमानित प्रतिशत को भी प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि अनुमानित 3.92 प्रतिशत के स्थान पर 2010-11 में यह केवल 0.77 प्रतिशत रहा।
- राज्य का राजकोषीय घाटा 2006-07 में ₹ 910 करोड़ से बढ़कर 2008-09 में ₹ 3114 करोड़ हो गया जो 2010-11 में आंशिक रूप से घटकर ₹ 2112 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ.के. साथ राजकोषीय घाटे का अनुपात मार्च 2010 के अंत तक 3.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 के अंत में 1.95 प्रतिशत हो गया जो एम.टी.एफ.पी में अनुमानित 2.40 प्रतिशत के अंदर रहा जबकि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार एफ.डी./ स.रा.घ.उ. वर्ष 2014-15 तक तीन प्रतिशत होना चाहिए।
- वर्ष 2006-11 के दौरान प्राथमिक घाटा में काफी उतार-चढ़ाव रहा। वर्ष 2006- 07 में प्राथमिक आधिक्य ₹ 703 करोड़ से बदल कर 2008-09 में ₹1227 करोड़ का प्राथमिक घाटा हो गया। यद्यपि वर्ष 2009-10 में स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तथा प्राथमिक घाटा ₹ 704 करोड़ हो गया। पुनः 2010-11 में स्थिति में सुधार के कारण 116 करोड़ रूपये का प्राथमिक आधिक्य हुआ। प्राथमिक घाटा/स.रा.घ.उ. का 2009-10 में औसत 0.7 प्रतिशत के विरुद्ध 2010-11 में 0.1 प्रतिशत रहा जो एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 0.05 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था।

1.9.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण प्रणाली

वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्तीय घाटा के वित्त पोषण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन हुए हैं जैसा कि तालिका 1.14 में दिये गये हैं।

सारणी 1.14 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण प्रणाली

(₹ करोड़ में)

	विवरणी	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11		
वित्तीय घाटे का बिखराव								
1	राजस्व घाटा/आधिक्य	946	1195	336	(-)10	836		
2	निवल पूंजीगत व्यय	1461	2584	3051	2703	2664		
3	निवल कर्ज एवं पेशगियों	395	554	399	298	284		
वित्तीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली*						प्राप्ति	भुगतान	निबल
1	बाजार से उधार	262	921	1238	1674	500	302	198
2	भारत सरकार से कर्ज	(-)145	(-)161	(-)136	(-)133	132	236	-104
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	1214	125	54	670	1228	271	957
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	143	602	1348	180	587	490	97
5	लघु बचत, पी.एफ. आदि	229	162	200	272	572	467	105
6	जमा एवं अग्रिम	396	625	799	273	3670	3206	464
7	उच्च एवं विविध	(-)722	(-)447	709	(-)258	45751	45278	473
8	प्रेषण	(-)85	(-)146	(-)11	(-)39	3298	3292	6
9	अन्य	(-)382	262	(-)1087	372		84	(-)84
10	समग्र आधिक्य/घाटे	(-)910	(-)1943	(-)3114	(-)3011	55738	53626	(-)2112
* ये सभी अंक वर्ष के दौरान सकल व्यय/ बहिर्गमन हैं। स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे								

2010-11 के दौरान ₹ 2112 करोड़ के राजकोषीय घाटे मुख्यतः एन.एस.एस.एफ (₹957 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 464 करोड़), अन्य संस्थाओं से ऋण (₹ 97 करोड़), बाजार से उधार (₹198 करोड़), और लघु बचत भविष्य निधि (₹105 करोड़) से पूरा किया गया, जिससे भविष्य में सूद का बोझ बढ़ेगा।

1.9.3 घाटा/आधिक्य के गुण

राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं पेशगियों) में बिखराव राज्य वित्त में घाटे के गुण को इंगित करेगा। राजस्व घाटा एवं वित्तीय घाटा का अनुपात चालू उपयोग के प्रयुक्त उधार की निधि की सीमा को इंगित करता है। पुनः राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा का लगातार उच्च अनुपात रहना इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्ति आधार लगातार संकुचित हो रही है और उधार (राजकोषीय देयताएँ) के एक भाग का कोई परिसम्पत्ति पूरक नहीं है। प्रारंभिक घाटा के बंटवारे (तालिका 1.15) से पता चलता है कि घाटा किस हद तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ जो राज्य अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में बढ़त हेतु अपेक्षित था।

सारणी 1.15: प्रारंभिक घाटा/आधिक्य-कारक के द्विखण्डीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्रारंभिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कर्ज एवं पेशगिरियाँ	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	10026	7451	1461	411	9323	(+)2575	(+) 703
2007-08	12071	9074	2584	598	12256	(+)2997	(-) 185
2008-09	13232	10990	3051	418	14459	(+)2242	(-)1227
2009-10	15140	12821	2703	320	15844	(+)2319	(-)704
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+) 116

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

- 2006-07 से 2010-11 के दौरान प्रारंभिक राजस्व व्यय एवं प्रारंभिक व्यय में सापेक्ष वृद्धि के विरुद्ध राज्य की गैर ऋण प्राप्ति ₹ 10026 करोड़ से बढ़ कर ₹18805 करोड़ हो गयी। तथापि, 2006-11 अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में उतार चढ़ाव देखा गया ।
- पूँजीगत लेखे के अंतर्गत आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए आधिक्य प्राप्तियाँ नहीं थे, फलस्वरूप 2007-10 की अवधि के दौरान प्रारंभिक घाटा हुआ।
- ये प्रवृत्तियाँ राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा को इंगित करता है जिसे राज्य के उत्पादन क्षमता की वृद्धि हेतु पूँजीगत व्यय में वृद्धि के लिए भविष्य में कम किया जाना चाहिए।

1.10 उपसंहार

वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा भारत सरकार से सीधे ₹ 4211.08 करोड़ प्राप्त किया गया जो राज्य सरकार के बजट में प्रतिबिंबित नहीं हुआ। यह राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन के राजकोषीय कार्यों की पारदर्शकता की मांग को बाधित करता है। अतः उत्तरदायित्व का निर्वाहन नहीं करता है। गैर योजना राजस्व व्यय संपूर्ण व्यय का 57 प्रतिशत भाग था। तेरहवीं वित्त आयोग के मानदंड 75 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के दौरान वेतन, पेंशन एवं व्याज पर व्यय गैर योजना राजस्व व्यय का 83.33 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 में पेंशन पर 2009 में पिछले वर्ष की अपेक्षा व्यय में वृद्धि 70 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2010-11 में 24 प्रतिशत (₹400 करोड़) रही। वर्ष 2009-10 के ₹ 41 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में सबसेडी ₹ 80 करोड़ हो गया। राज्य सरकार ने पूँजी व्यय की प्रतिशत के रूप में भौतिक पूँजी के निर्माण को कुल व्यय के विरुद्ध कम प्राथमिकता (16.65 प्रतिशत) दिया, जो सामान्य श्रेणी के राज्यों के व्यय (19.30 प्रतिशत) से कम था।

यद्यपि सरकार ने मार्च 2011 के अंत तक पाँच प्रतिशत व्याज की दर से भारत

सरकार के कोषागार विपत्र में कुल ₹ 1141.58 करोड़ का निवेश किया, फिर भी वर्ष के दौरान 8.28 प्रतिशत ब्याज की दर से ₹ 500 करोड़ उधार लिया। सरकार ने राजस्व घाटे को शून्य के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया परन्तु एम.टी.एफ.पी. द्वारा 2010-11 के लिए निर्धारित ₹ 3551 करोड़ राजस्व आधिक्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। 2009-10 के ₹ 704 करोड़ की प्राथमिक घाटा 2010-11 में ₹ 116 करोड़ प्राथमिक आधिक्य में बदल गया। हालांकि राज्य में मार्च 2011 तक एम.टी.एफ.पी. के राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, किन्तु राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात मार्च 2011 के अंत तक 1.95 प्रतिशत रहा जो एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 2.40 प्रतिशत तथा तेरहवीं वित्त आयोग के मानक से कम था।

1.11 अनुशासक

सरकार

- तेरहवें वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार मध्यावधि राजकोषीय योजना में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करे।
- राज्य स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरणों को स्थानांतरित कोष का सही लेखा-जोखा सुनिश्चित करे तथा राज्य सरकार एवं प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह.), झारखण्ड द्वारा अद्यतन सूचना को विधि मान्य बनाया जाए।
- कर एवं गैर-कर स्रोतों से राजस्व संग्रहण और बकाये के द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने एवं गैर योजना राजस्व व्यय को कम करने हेतु उचित कदम उठाये।
- पूंजीगत व्यय पर वित्तीय प्रावधान को भौतिक परिसम्पत्तियों के रूप में समयबद्ध तरीके से परिवर्तित करे ताकि उद्देशित परिणाम वास्तव में प्राप्त हो सके।
- निवेशों में राशि के बेहतर मूल्य तलाश करे ताकि निवेशों पर नगन्य वापसी तथा बढ़ता राजकोषीय दायित्व से आधारणीय ऋण स्थिति से बचा जा सके।